न्यायालय जिला कलकटर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः—प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

अपील संख्या 40/2011

भोजराज पुत्र श्री ज्ञानाराम जाति जाट निवासी 23 डी.डब्लयू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अधिवक्ता।

——रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.09.2011 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट रावतसर जिला हनुमानगढ मुकदमा लाईसेन्स नवीनीकरण प्रकरण संख्या 02/11 शीर्षक स्टेट बनाम भोजराज जिसकी रूह से अपीलार्थी का शस्त्र लाईसेन्स संख्या 340/05 खारिज फरमा दिया गया को अपास्त करवाने बाबत।

उपस्थितः—1—श्री दुलीचन्द वकील अपीलान्ट
2—श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः—27.12.2016

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी के नाम से एक अनुज्ञा पत्र लाईसेन्स संख्या 340/04.03.05 टोपीदार गन बन्दुक डी.बी.एम.एल. गन नं0 7520 तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रावतसर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर जारी किया हुआ है। जिसको अपीलार्थी नियमानुसार समय समय पर नवीनीकरण करवाता रहा है। पूर्व में अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.2009 तक नवीनीकृत था। तत्पश्चात अपीलार्थी ने अपने उक्त अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करवाने हेतु दिनांक 30.12.2009 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ से रिपोर्ट मंगवाई जिसने अपीलार्थी के लाईसेन्स के नवीनीकरण की अनुशंषा नही की एवं अपीलार्थी के विरूद्ध

10

मुकदमा दर्ज होना बताया। जिस पर अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलार्थी ने अपना जवाब नोटिस प्रस्तुत किया तथा तत्पश्चात दिनांक 12.09.2011 को अपीलार्थी के शस्त्र लाईसेन्स संख्या 340 दिनांक 04.03.05 खारिज किए जाने का आदेश पारित किया जिससे पीडित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि अपील ही उसकी बहस है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरूद्ध दो फौजदारी मुकदमें दर्ज हो चुके है। एक मुकदमें में सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दोषी माना है। पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी प्रश्नगत शस्त्र लाईसैन्स को नवीनीकरण नही करने की अभिशंषा की गई है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रश्नगत शस्त्र लाईसैन्स को नवीनीकरण न कर खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की अपील में अंकित कथनानुसार प्रश्नगत शस्त्र लाईसेंस को नियमानुसार समय समय पर नवीनीकरण करवाता रहा है। प्रश्नगत शस्त्र लाईसेंस दिनांक 31.12.2009 तक नवीनीकृत था। शस्त्र लाईसेंस को नवीनीकरण करवाने हेतु दिनांक 30.12.2009 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट रावतसर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट रावतसर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ से मंगवाई गई रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत शस्त्र लाईसेन्स को खारिज किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट रावतसर द्वारा अपीलान्ट के जबाव का अवलोकन नही किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट रावतसर द्वारा प्रश्नगत शस्त्र लाईसैन्स के संबंध मे पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रश्नगत शस्त्र लाईसेन्स को नवीनीकरण नही करने की अनुशंषा करना पाया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने के कारण अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख उपखण्ड मजिस्ट्रेट रावसतर को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 27.12.2016 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
हनुमानगढ